सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2021/130 दर्ज तिथिः—28.06.2021

1. स्व0 फुआ फौतगी पर कायम मुकाम वारिशान—
   1/1 विशनाराम वल्द स्व0 फुआ
   1/2 केसाराम वल्द स्व0 फुआ
   1/3 झीमोंदेवी पत्नी स्व0 फुआ
2. स्व0 अमरा फौतगी पर कायम मुकाम वारिशान—
   2/1 खेराजराम वल्द स्व0 अमरा
   2/2 चूनाराम वल्द स्व0 अमरा
   2/3 खरथाराम वल्द स्व0 अमरा
   2/4 सोनाराम वल्द स्व0 अमरा
   2/5 भूराराम वल्द स्व0 अमरा
   2/6 अणदीदेवी पत्नी स्व0 अमरा
3. चिमना वल्द वरजांगाराम
4. पाबूराम वल्द अमराराम
5. हुकमाराम वल्द विशनाराम
6. रूगनाथराम वल्द विशनाराम

कौम जाट साकिन देवलनगर ग्राम पंचायत खडाली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. भीखाराम वल्द कानाराम
2. नानगाराम वल्द डालुराम
3. टीकमाराम वल्द डालुराम
4. लाधूराम वल्द देदाराम
5. रेखाराम वल्द देदाराम

कौम जाट साकिन मौखावा खुर्द, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री डालुराम चौधरी

वाद अन्तर्गत धारा—188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.05.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादीगण का उक्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से निर्बाध रूप से कब्जा—काश्त चला आ रहा है। वादीगण की पैतृक कब्जाशुदा आराजी एवं वादीगण की आराजी के पड़ौस में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 17 एवं 18 मौजा मौखावा खुर्द अवस्थित है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईश करवा ली गई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी दो ग्राम देवलनगर एवं मौखावा खुर्द की सीमा पर अवस्थित होने एवं पड़ौस में गौचर भूमि होने से भूमि की पैमाईश पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी में दखलअंदाजी करते रहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा हाल ही में नेखमबंदी हेतु पैमाईश करवाई। जिसमें राजस्व कार्मिकों द्वारा एकतरफा पैमाईश करते हुए ग्राम मौखावा की तरफ से जी.पी.एस. नाप लाकर वादीगण की भूमि में प्रतिवादीगण की भूमि प्रस्तावित कर दी। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में अपना कब्जा मानकर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में वक्त सेटलमेंट का सरकारी कट्टान मार्ग बताकर वादी के खेत के दो टुकड़े करते हुए लठ के बल जबरन सड़क निर्माण कराने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल के पश्चात् असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 एवं 18 की नेखमबंदी हेतु आवेदन संख्या 78/2020 उनवान भीखाराम बनाम मोटाराम न्यायालय में दायर किया गया था। जिसकी पालना में प्रतिवादीगण की आराजी पर पक्के नेखम स्थापित किये गये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी में कभी भी दखलअंदाज नहीं किया गया है। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त आराजी दो राजस्व ग्रामों की सीमा पर अवस्थित होने के कारण आपस में ओवरलेप हो रही है। साथ ही नेखमबंदी की पालना में उक्त ओवरलेप आराजी प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 17 एवं 18 में से कम की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की आराजी की पक्की नेखमबंदी न्यायालय आदेश के आधार पर की हुई होने के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को नेखमबंदी पालना रिपोर्ट में कायम बिन्दुओं तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अतः वादीगण का वाद काबिल—ए—खारिज है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

3. वादी द्वारा प्रकरण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किए गए।

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
1	खरथाराम पुत्र अमराराम जाति जाट	मौखावा, तहसील गुड़ामालानी
2	नरपत पुत्र मानाराम जाति देवासी	मौखावा, तहसील गुड़ामालानी

5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए बहस करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय द्वारा निर्णित राजस्व आवेदन संख्या 78/2020 में की गई नेखमबंदी में स्थापित बिन्दुओं से दोनों पक्षों का एक—दूसरे के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् उभयपक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त रूप से अनुतोष प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

	वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

	आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे पक्ष की आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् दोनों पक्षों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा संख्या 17 एवं 18 की न्यायालय आदेश से जेरसमबंदी करवाई जाकर बिन्दु स्थापित करवाए गए हैं। जिससे वादीगण को भी प्रतिवादीगण की आराजी पर दखलअंदाजी से रोकने हेतु स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण उभयपक्षकारान एक—दूसरे की आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र एवं प्रतिवादीगण का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 एवं 18 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी पर राजस्व आवेदन संख्या 78/2020 में की गई नेखमबंदी से स्थापित बिन्दुओं के उभयपक्षकारान को एक—दूसरे की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही उभयपक्षकारान की उक्त खातेदारी आराजी पर उभयपक्षकारान को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2021/130 दर्ज तिथिः—28.06.2021

1. स्व0 फुआ फौतगी पर कायम मुकाम वारिशान—
   1/1 विशनाराम वल्द स्व0 फुआ
   1/2 केसाराम वल्द स्व0 फुआ
   1/3 झीमोंदेवी पत्नी स्व0 फुआ
2. स्व0 अमरा फौतगी पर कायम मुकाम वारिशान—
   2/1 खेराजराम वल्द स्व0 अमरा
   2/2 चूनाराम वल्द स्व0 अमरा
   2/3 खरथाराम वल्द स्व0 अमरा
   2/4 सोनाराम वल्द स्व0 अमरा
   2/5 भूराराम वल्द स्व0 अमरा
   2/6 अणदीदेवी पत्नी स्व0 अमरा
3. चिमना वल्द वरजांगाराम
4. पाबूराम वल्द अमराराम
5. हुकमाराम वल्द विशनाराम
6. रूगनाथराम वल्द विशनाराम

कौम जाट साकिन देवलनगर ग्राम पंचायत खडाली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. भीखाराम वल्द कानाराम
2. नानगाराम वल्द डालुराम
3. टीकमाराम वल्द डालुराम
4. लाधूराम वल्द देदाराम
5. रेखाराम वल्द देदाराम

कौम जाट साकिन मौखावा खुर्द, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री डालुराम चौधरी

वाद अन्तर्गत धारा—188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्री:—

वादी का वादपत्र एवं प्रतिवादीगण का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/135.05 बीघा मौजा देवलनगर तहसील गुड़ामालानी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 एवं 18 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी पर राजस्व आवेदन संख्या 78/2020 में की गई नेखमबंदी से स्थापित बिन्दुओं के उभयपक्षकारान को एक—दूसरे की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही उभयपक्षकारान की उक्त खातेदारी आराजी पर उभयपक्षकारान को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested